निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 653/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

बोदूराम पुत्र बालूराम जाति जाट, निवासी ग्राम भूरावाली बिहारीपुरा, तहसील रामपुराडाबड़ी, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी एवं तहसीलदार रामपुराडाबड़ी, जिला जयपुर।
2. बंशीधर पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी भूरावाली, बिहारीपुरा, तहसील रामपुराडाबड़ी, जिला जयपुर।
3. [redacted] पुत्री बालूराम जाति जाट, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील रामपुराडाबड़ी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र विरूद्ध तहसीलदार रामपुराडाबड़ी, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 16/2025 ब–उनवानी बंशीधर बनाम ग्राम पंचायत बिहारीपुरा व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थितः–

1. श्री सीताराम जाट, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री एस. जे. गिरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय दिनांक 09.02.2026

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामपुराडाबड़ी, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 16/2025 विचाराधीन है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार रामपुराडाबड़ी, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री एस. जे. गिरी, अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक नामान्तकरण संख्या 543 दिनांक 06.01.2023 के विरूद्ध अपील संख्या 22/2024 ब–उनवानी बंशीधर बनाम ग्राम पंचायत बिहारीपुरा पेश की थी, जो उपखण्ड अधिकारी रामपुराडाबडी द्वारा दिनांक 28.4.2025 को निर्णीत करते हुए तहसीलदार रामपुराडाबडी को आदेशित किया था कि विवादित भूमि के संबंध में सभी पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः नामान्तकरण की जांच करते हुए विधि सम्मत नामान्तकरण तस्दीक किया जाए। तहसीलदार रामपुराडाबडी बिना प्रकरण, नामान्तकरण की विधिवत जांच किए एवं बिना पक्षकारान से साक्ष्य सबूत ग्रहण किए ही

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में नामान्तकरण तरदीक करने पर आमादा है। उक्त विवादित आराजीयात में प्रार्थी के हक अधिकार निहित है, परंतु पीठासीन अधिकारी प्रार्थी को बिना सुने प्रकरण में बाला बाला कार्यवाही करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 जो कि राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है, जो अपनी राजनैतिक पहुंच व धनबल के आधार पर पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव प्रलोभन में लेकर विवादित आराजीयात का नामान्तकरण अपने पक्ष में खुलवाने पर आमादा है। पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से काफी बार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को आते जाते देखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय के रीडर से उक्त प्रकरण का निस्तारण अपने अनुरूप करवाने के लिए कहता रहा है। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के प्रभाव में है तथा प्रकरण को बिना सम्यक कार्यवाही किए जल्दबाजी में निस्तारण करने पर आमादा है। इस प्रकार प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्ति की कोई आशा नहीं है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

5. [redacted]र्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित वाद में पक्षकार है एवं मुंतकिल प्रार्थना पत्र में प्रार्थी गिरधारी लाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है, प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढ़न्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. तहसीलदार रामपुराडाबड़ी, जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी के केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा तहसीलदार रामपुराडाबड़ी, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner